2014 का विधेयक संख्यांक 92

[दि अप्रेन्टिसिस (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014

शिक्षु अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1961 का 52

2. शिक्षु अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (घ) के उपखंड (1) में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(खख) कोई स्थापन, जो चार या अधिक राज्यों में स्थित विभिन्न स्थानों से कारबार या व्यवसाय चलाता है, अथवा;'';

(ii) क्रमशः खंड (ङ), खंड (ञ) और खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ङ) ''अभिहित व्यवसाय'' से ऐसा कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ञ) ''स्नातक या तकनीकी शिक्षु'' से ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है, जिसके पास सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है;

(ट) ''उद्योग'' से ऐसा उद्योग या कारोबार अभिप्रेत है, जिसमें कोई व्यवसाय, उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अभिहित व्यवसाय या वैकल्पिक व्यवसाय या दोनों के रूप में विनिर्दिष्ट है;';

(iii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ठठ) ''वैकल्पिक व्यवसाय'' से कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विषय-क्षेत्र अभिप्रेत है जो नियोजक द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवधारित किया जाए;

(ठठठ) ''पोर्टल साइट'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सूचना के विनिमय के लिए वेबसाइट अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (तत) में, ''किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जो विहित किया जाए'' शब्दों के स्थान पर ''अभिहित व्यावसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (थ) और खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(थ) ''व्यावसाय शिक्षु'' से कोई शिक्षु अभिप्रेत है, जो किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है;

(द) ''कर्मकार'' से नियोजक के परिसर में कार्यरत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के काम में या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकरण के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ठेकेदार आता है, मजदूरी पर नियोजित किया जाता है और जो अपनी मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजक से प्राप्त करता है, किन्तु इसके अंतर्गत खंड (कक) में निर्दिष्ट शिक्षु नहीं है।'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो, और परिसंकटमय उद्योगों से संबंधित अभिहित व्यवसायों के लिए अट्ठारह वर्ष से कम आयु का न हो; और''।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) नियोजक द्वारा, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक शिक्षुता संविदा, शिक्षुता सलाहकार को तब तक तीस दिन के भीतर भेजी जाएगी, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल वेबसाइट विकसित नहीं कर ली जाती है और उसके पश्चात् शिक्षुता संविदा के ब्यौरे सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण के लिए सात दिन के भीतर पोर्टल साइट पर डाले जाएंगे।

(4क) शिक्षुता सलाहकार, शिक्षुता संविदा में आक्षेप की दशा में, इसके प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर नियोजक को आक्षेप संप्रेषित करेगा।

(4ख) शिक्षुता सलाहकार, शिक्षुता संविदा के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर इसको रजिस्ट्रीकृत करेगा।'';

(ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 5क और धारा 5ख का अंत:स्थापन।

''5क. वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षु से संबंधित अर्हता, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षण आयोजित करना, प्रमाणपत्र देना और अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। वैकल्पिक व्यवसाय का विनियमन।

5ख. नियोजक, शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए अन्य राज्यों से शिक्षु रख सकेगा।''। अन्य राज्यों से शिक्षुओं को रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन।

(i) खंड (क) में, ''उस परिषद् द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता परीक्षण की कालावधि उतनी होगी जितनी उस परिषद या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा अवधारित की जाए'' शब्दों के स्थान पर ''उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता परीक्षण की कालावधि उतनी होगी जितनी विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड से या किसी अन्य प्राधिकरण से या किसी स्कीम के अधीन अनुमोदित पाठ्यक्रम से, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबद्ध या मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस बोर्ड या राज्य परिषद् या प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए;''।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 8 का संशोधन।

''8. (1) केंद्रीय सरकार, अभिहित व्यवसाय और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए नियोजक द्वारा लगाए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या विहित करेगी। अभिहित व्यवसाय और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या।

(2) कई नियोजक, उनके अधीन शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार या तो स्वयं या शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण के माध्यम से एक साथ कार्य कर सकेंगे।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) हर नियोजक अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपने कार्य-स्थल में करेगा।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) वे व्यवसाय-शिक्षु, जिन्होंने राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबद्ध या मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्य-स्थल में प्रवेश के पूर्व एक बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे और व्यवसाय शिक्षुओं के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपयुक्त सुविधाओं वाले किसी संस्थान में कराया जाएगा।'';

(iii) उपधारा (4क), उपधारा (4ख), उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।

(iv) उपधारा (7) और उपधारा (7क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(7) किसी स्नातक या तकनीकी शिक्षु या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु से भिन्न शिक्षु की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण का, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित व्यवसाय में बुनियादी प्रशिक्षण भी है, पाठ्य-विवरण और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर ऐसे होंगे, जैसे केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(7क) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं की दशा में शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिहित व्यवसाय में ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।'';

(v) उपधारा (8) के खंड (ग) के आरंभ में, ''स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं'' शब्दों से पूर्व ''ऐसे शिक्षुओं के सिवाय, जिनके पास गैर-इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(1) जब कोई शिक्षु किसी कार्यस्थल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे प्रशिक्षण अवधि, यदि विहित हो, की अनुपालना के अध्यधीन नियोजक द्वारा यथा अवधारित होंगे।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) शिक्षु, ऐसी छुट्टी और अवकाश दिनों का, जो उस स्थापन में, जिसमें वह काम कर रहा है, मनाए जाते हैं, हकदार होगा।'';।

धारा 19 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल साइट विकसित नहीं कर ली जाती है, हर नियोजक, ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर देगा जैसे विहित किए जाएं;

(3) हर नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत विकसित की गई पोर्टल साइट पर शिक्षुता प्रशिक्षण की बाबत शिक्षुओं की व्यवसाय-वार आवश्यकता और शिक्षुओं को रखने के ब्यौरे भी देगा।''।

धारा 21 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) हर व्यवसाय शिक्षु, जिसने प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है उस अभिहित व्यवसाय में, जिसमें उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी प्रवीणता अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षण में बैठ सकेगा।''।

(ii) उपधारा (2) में, ''राष्ट्रीय परिषद्'' शब्दों के पश्चात् ''या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) हर नियोजक, किसी ऐसे शिक्षु को, जिसने उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है, भर्ती करने के लिए अपनी स्वयं की नीति बनाएगा।''।

धारा 30 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन शिक्षुओं की ऐसी संख्या के संबंध में करता है, जो उसने उन उपबंधों के अधीन रखने की अपेक्षा की है, तो उसे समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए लिखित में एक मास की सूचना दी जाएगी।

(1क) उस दशा में, जब नियोजक उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना का उत्तर देने में असफल रहता है या उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी का नियोजक द्वारा दिए गए कारणों से समाधान नहीं होता है तो वह पहले तीन मास के लिए प्रत्येक शिक्षुता मास की कमी के लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने से और उसके पश्चात् तब तक, जब तक ऐसे स्थानों की संख्या नहीं भर ली जाती, एक हजार रुपए प्रतिमास के जुर्माने से दण्डनीय होगा।''।

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(छ) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है; या

(ज) किसी शिक्षुता संविदा के निर्बंधन और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा,''

(ख) ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,'' शब्दों के स्थान पर, ''हर घटना के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने, से'' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (2) के उपबंध ऐसे स्थापन या उद्योग को लागू नहीं होंगे जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है।''।

1986 का 1

धारा 37 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 37 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत, उस तारीख से अपूर्व की तारीख को, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, से ऐसे नियमों या उनमें से किसी को भूतलक्षी रूप से बनाने की शक्ति भी है किन्तु किसी ऐसे नियम को, ऐसा भूतलक्षी प्रभाव किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं दिया जाएगा जिसको ऐसा नियम लागू हो।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षु अधिनियम, 1961 को अधिनियमित करने का उद्देश्य शिक्षुओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम का विनियमन करना था। स्नातकों और तकनीशियन एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं को अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए अधिनियम को क्रमशः 1973 और 1986 में संशोधित किया गया। ''स्थापन'', ''कर्मकार'', किसी अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या तथा अन्य पिछड़ा वर्गों इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के संबंध में अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने हेतु अधिनियम को 1997 और 2007 में पुनः संशोधित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की तुलना में शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और उद्योग में भारी मात्रा में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं अनुपयोजित रहती हैं, जिसके कारण बेरोजगार युवाओं को एटीएस का लाभ नहीं मिल पाता है। नियोजकों की यह राय है कि अधिनियम के उपबंध कठोर हैं जिसके कारण वे शिक्षुओं को लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं और शास्ति संबंधी उपबंध से उनमें अभियोजन (कानूनी कार्यवाही) का भय पैदा होता है, और उन्होंने शिक्षु अधिनियम को यथोचित रूप से उपांतरित करने का सुझाव दिया था।

शिक्षुता को युवा तथा उद्योग के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने हेतु शिक्षु अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न पक्षों से अनेक सुझाव प्राप्त किए गए हैं, और इन पर अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) में चर्चा की गई थी। अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए आईएमजी की सिफारिशों को जनता की टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और उन पर केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)—एक कानूनी निकाय—की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सीएसी की बैठक में आम सहमति के आधार पर अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव किया जाता है। मुख्य परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

(i) चार या उससे अधिक राज्यों में प्रचालन करने वाले स्थापनों को नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन लाने का उपबंध करना;

(ii) व्यवसाय-वार रखे जाने वाले शिक्षुओं के बजाय स्थापन स्तर पर रखे जाने वाले कुल शिक्षुओं की संख्या विहित करने का उपबंध करना;

(iii) गैर-इंजीनियरी स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण का उपबंध करना;

(iv) नियोजकों द्वारा नए पाठ्यक्रमों (वैकल्पिक व्यवसायों), जो मांग आधारित हैं, को आरंभ कने का उपबंध करना;

(v) नियोजकों को वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुओं के संबंध में उनकी अर्हता, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा (टेस्ट) आयोजन, प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा अन्य शर्तें अवधारित करने का उपबंध करना;

(vi) संविदा शिक्षुता प्रशिक्षण के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का उपबंध करना;

(vii) पोर्टल साइट के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान का उपबंध करना;

(viii) नियोजकों को अन्य राज्यों से भी शिक्षुओं को रखने की अनुज्ञा देने का उपबंध करना;

(ix) शिक्षुओं की भर्ती के लिए नियोजकों द्वारा को स्वयं की नीति बनाने का उपबंध करना;

(x) शास्ति व्यवस्था केवल जुर्माने पर आधारित होगी;

(xi) अधिनियम के अधीन नये व्यवसायों की अधिसूचना के लंबित रहने के दौरान आरंभ हो चुके प्रशिक्षण को मान्यता देने को सुकर बनाने हेतु कार्योत्तर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करना;

(xii) परीक्षा में प्रवेश को वैकल्पिक बनाना तथा किसी भी सक्षम अभिकरण से प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का उपबंध करना।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
5 अगस्त, 2014.

नरेन्द्र सिंह तोमर

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 नई धारा 5(क) अंत:स्थापित करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को वैकल्पिक व्यवसायों में शिक्षुओं के संबंध में अर्हता, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा आयोजित करने, प्रमाण-पत्र प्रदान करने और अन्य शर्तों की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

2. विधेयक का खंड 6 शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए धारा 6 का संशोधन करने के लिए है।

3. विधेयक का खंड 7 धारा 8 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को अभिहित और वैकल्पिक व्यवसायों के लिए नियोजकों द्वारा लगाए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

4. विधेयक का खंड 10 अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिसमें नियोजकों के लिए पोर्टल साइट को विकसित किए जाने तक ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर सूचना और विवरणी आदि देने हेतु केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

5. ऐसे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरों के विषय हैं। इसलिए शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * * *

(ङ) ''अभिहित व्यवसाय'' से वह कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

* * * * *

(ञ) ''स्तानक या तकनीकी शिक्षु'' से ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है, जिसके पास सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता है या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित किया जाए;

(ट) ''उद्योग'' से ऐसा उद्योग या कारोबार अभिप्रेत है, जिसमें कोई व्यवसाय, उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट हो;

* * * * *

(तत) ''तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु'' से कोई ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है, जिसके पास ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम का, जिसके लिए अखिल भारतीय परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर के पूरा करने के पश्चात् दो वर्ष का अध्ययन करना होता है, प्रमाणपत्र है या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित किया जाए;

(थ) ''व्यवसाय शिक्षु'' से कोई शिक्षु अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे व्यवसाय या ऐसी उपजीविका में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित की जाए;

(द) ''कर्मकार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के काम में मजदूरी पर नियोजित किया जाता है और जो अपनी मजदूरी सीधे नियोजक से प्राप्त करता है, किन्तु उसके अन्तर्गत खण्ड (कक) में निर्दिष्ट शिक्षु नहीं है।

अध्याय 2

शिक्षु और उनका प्रशिक्षण

3. कोई व्यक्ति किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में तब के सिवाय रखा नहीं जाएगा जब कि वह— शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए अर्हताएं।

(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो; तथा

(ख) शिक्षा और शारीरिक योग्यता के ऐसे स्तरमानों की तुष्टि कर दे जो विहित किए जाएं:

परंतु विभिन्न अभिहित व्यवसायों में शिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में [4][और विभिन्न प्रवर्गों के शिक्षुओं के लिए] विभिन्न स्तरमान विहित किए जा सकेंगे।

* * * * *

4. (4) उपधारा (1) के अधीन की गई हर शिक्षुता-संविदा नियोजक द्वारा इतनी अवधि के भीतर, जितनी विहित की जाए, शिक्षुता सलाहकार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी जाएगी। शिक्षुता-संविदा।

* * * * *

(5) शिक्षुता सलाहकार किसी शिक्षुता-संविदा को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि संविदा में शिक्षु के रूप में उल्लिखित व्यक्ति संविदा में विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अर्हित है।

शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि।

6. शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि, जो शिक्षुता-संविदा में विनिर्दिष्ट की जाएगी, निम्नलिखित होगी—

(क) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, जो राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था से संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उसे परिषद् द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा अवधारित की जाए;

(कक) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड से या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस बोर्ड या राज्य परिषद् या प्राधिकरण द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए:

* * * * *

अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, हर अभिहित व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों से व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, अवधारित करेगी:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी नियोजक को इस उपधारा के अधीन अवधारित अनुपात से अधिक संख्या में व्यवसाय-शिक्षु रखने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुपात अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार संबंधित अभिहित व्यवसाय में इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उपलभ्य सुविधाओं का तथा उन सुविधाओं का भी, यदि कोई हों, ध्यान रखेगी, जिन्हें किसी नियोजक को स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षु के प्रशिक्षण के लिए ऐसी किसी सूचना के अनुसरण में उपलब्ध करना पड़े, जो उपधारा (3क) के अधीन केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, उस नियोजक को दी गई हो।

(3) शिक्षुता सलाहकार, लिखित सूचना द्वारा, नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी अभिहित व्यवसाय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात के भीतर इतने व्यवसाय शिक्षुओं को उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने स्थापन में रखे, जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन अपेक्षा करते समय शिक्षुता सलाहकार संबंधित स्थापन में वस्तुत: उपलभ्य सुविधाओं का ध्यान रखेगा:

परंतु यह और कि शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उसे अभ्यावेदन किए जाने पर और अति वास्तविक नियोजन की संभावना, प्रशिक्षण सुविधाओं और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी अभिहित व्यवसाय के लिए उतनी संख्या में, जितनी उस व्यवसाय के लिए अनुपात द्वारा परिकल्पित संख्या से कम है किन्तु इस प्रकार परिकल्पित संख्या के पचास प्रतिशत से कम नहीं है, शिक्षु रखने की अनुज्ञा इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगा कि नियोजक अन्य व्यवसायों में उस संख्या से, जो ऐसी कमी के समतुल्य हो, अधिक शिक्षु रखेगा।

(3क) केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार या केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो पंक्ति में सहायक शिक्षुता सलाहकार से कम न हो—

(i) किसी अभिहित व्यवसाय में नियोजित प्रबन्धकार व्यक्तियों की (जिसके अन्तर्गत तकनीकी और पर्यवेक्षी व्यक्ति भी हैं) संख्या का;

(ii) स्थापन में रखे गए प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का;

(iii) किसी अभिहित व्यवसाय में उपलभ्य समग्र प्रशिक्षण सुविधाओं का; तथा

(iv) अन्य ऐसी बातों का, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे,

ध्यान रखते हुए किसी नियोजक से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने स्थापन में ऐसे व्यवसाय में उतने स्नातकों या तकनीकी शिक्षुओं [तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु] को प्रशिक्षण दे, जितने ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और नियोजक ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में ''प्रबंध प्रशिक्षणार्थी'' पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे नियोजक के स्थापन में प्रशिक्षणक्रम (जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं है) पूरा करने के लिए नियोजक द्वारा इस शर्त के अधीन रखा गया है कि ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे नियोजक द्वारा नियमित आधार पर नियोजित कर लिया जाएगा।

(4) कोई नियोजक अपने अधीन के शिक्षुओं को अपने तथा एक दूसरे के स्थापनों में भेजकर उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उपबंधित करने के प्रयोजन के लिए आपस में सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह है कि ऐसी संख्या में शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित अनुपात से अधिक है या उपधारा (3क) के अधीन जारी की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां समुचित सरकार नियोजकों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या को प्रशिक्षित करे।

(6) हर नियोजक, जिससे यथापूर्वोक्त अपेक्षा की जाए, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा, यदि संपृक्त सरकार ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं, और ऐसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता, जैसी कि शिक्षुता सलाहकार द्वारा शिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कर दे।

(7) कोई भी नियोजक, जो उपधारा (6) के अधीन के शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से संतुष्ट न हो, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को निर्देश कर सकेगा और वह निर्देश उस परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई उसकी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उस समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

शिक्षुओं का व्यावहारिक एवं बुनियादी प्रशिक्षण।

9. (1) हर नियोजक शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपनी कर्मशाला में करेगा।

* * * * *

(3) वे व्यवसाय-शिक्षु, जिन्होंने राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कर्मशाला में प्रवेश के पूर्व एक बुनियादी प्रशिक्षणक्रम पूरा करेंगे।

* * * * *

(4क) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी ऐसे स्थापन में, जिसमें पांच सौ या अधिक कर्मकार नियोजित हैं किसी समय प्रशिक्षित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या बारह से कम हो तो ऐसे स्थापन के संबंध में नियोजक ऐसे सब शिक्षुओं को या उनमें से किसी को बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, जो दोनों ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों, किसी अभिहित व्यवसाय में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए प्रति नियुक्त कर सकता है।

(4ख) जहां कोई नियोजक उपधारा (4ख) के अधीन किसी शिक्षु को प्रतिनियुक्त करता है, वहां ऐसा नियोजक सरकार को ऐसे प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करेगा।

(5) जहां कि कोई नियोजक अपने स्थापन में पांच सौ से कम कर्मकार नियोजित करता है, वहां व्यवसाय शिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जाएगा।

(6) ऐसी किसी प्रशिक्षण संस्था में, जो उस परिक्षेत्र के सर्वाधिक उपयुक्त स्थापन के परिसर में या किसी अन्य सुविधापूर्ण स्थान में अवस्थित होगा, बुनियादी प्रशिक्षण दो या अधिक नियोजकों द्वारा रखे गए व्यवसाय शिक्षुओं को दिया जा सकेगा।

(7) किसी स्नातक या तकनीकी शिक्षु तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षु से भिन्न शिक्षु की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण का, जिसके अन्तर्गत बुनियादी प्रशिक्षण भी है, पाठ्य-विवरण और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर ऐसे होंगे, जैसे केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(7क) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं, तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षुओं की दशा में शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के किसी विषय-क्षेत्र या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।

* * * * *

(ग) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं, तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षुओं को दिए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में नियोजक द्वारा किए गए आवर्ती खर्चे (जिनके अंतर्गत वृत्तिकाओं का खर्च नहीं है) नियोजक द्वारा उठाए जाएंगे और वृत्तिकाओं का खर्च, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत सीमा तक, केन्द्रीय सरकार और नियोजक द्वारा समान भागों में, और उक्त सीमा से आगे केवल नियोजक द्वारा उठाया जाएगा।

* * * * *

काम के घंटे, अतिकाल, छुट्टी और अवकाश दिन।

15. (1) जब कोई शिक्षु किसी कर्मशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।

* * * * *

(3) शिक्षु ऐसी छुट्टी का, जैसी विहित की जाए और ऐसे अवकाश दिनों का, जो उस स्थापन में, जिसमें वह काम कर रहा है, मनाए जाते हैं, हकदार होगा।

* * * * *

विवादों का निपटारा।

19. (1) * * * * *

(2) हर ऐसा नियोजक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर देगा, जैसे विहित किए जाएं।

* * * * *

परीक्षण का किया जाना और प्रमाणपत्र का अनुदान तथा प्रशिक्षण की समाप्ति।

21. (1) हर व्यवसाय शिक्षु जिसने प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है उस अभिहित व्यवसाय में, जिसमें उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी प्रवीणता अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षण में बैठेगा।

(2) हर व्यवसाय शिक्षु को, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षण में उत्तीर्ण होगा, उस व्यवसाय में प्रवीणता का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुदत्त किया जाएगा।

* * * * *

नियोजन की प्रस्थापना और प्रतिग्रहण।

22. (1) न तो नियोजक इसके लिए बाध्य होगा कि वह उस शिक्षु को, जिसने उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है, कोई नियोजन देने की प्रस्थापना करे, और न शिक्षु इसके लिए बाध्य होगा कि वह उस नियोजक के अधीन नियोजन प्रतिगृहीत करे।

* * * * *

अपराध और शास्तियां।

30. (1) यदि कोई नियोजक—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु के रूप में रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है, अथवा

(ख) शिक्षुता संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा, अथवा

(ग) इस अधिनियम के उन उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जो उन उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित शिक्षुओं की संख्या के बारे में है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक या कोई अन्य व्यक्ति—

(क) * * * * *

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

* * * * *

GMGIPMRND—2020LS(S3)—05-08-2014.

शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	21	हों शिक्षुता	हों, शिक्षुता
3	23 पार्श्वशीर्ष	संशोधन ।	प्रतिस्थापन ।
5	10	उसने	उससे
5	35	है, से ऐसे	है, ऐसे
6	31	सूचना का	सूचना के
6	33	द्वारा को स्वयं	द्वारा स्वयं